(280)

न्यायालय – माननीय राजस्व मंडल मध्यप्रदेश ग्वालियर (म0 प्र0)

निगरानी प्र0 क0 – I/निगरानी/छतरपुर/भू.रा/2018/2102 सन – 2017–18

1– श्रीमति लक्ष्मी देवी पत्नी श्री रामस्वरूप अग्रवाल

निवासी रोजगार कार्यालय के पीछे छतरपुर तहसील व

जिला छतरपुर म0 प्र0 ------ निगरानीकर्ता

बनाम

1– बिहारीलाल तनय श्री मातादीन गुप्ता निवासी

रोजगार कार्यालय के पीछे किशोर सागर तालाब के पास छतरपुर

तहसील व जिला छतरपुर म0 प्र0

------ अनावेदकगण

2– म0 प्र0 शासन

यह निगरानी न्यायालय अपर कलेक्टर जिला छतरपुर द्वारा रा0 प्र0 कं0 – 280/निग./अ–12/2004–05 में पारित आदेश दिनांक 01/02/18 से असन्तुष्ट होकर म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959 की धारा –50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

जगदीश श्रीवास्तव द्वारा आज दि. 31-3-18 को प्रस्तुत! प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 5-4-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर 31-3-18

29/3/18

मान्यवर,

उपरोक्त आवेदिका सादर निम्नलिखित निगरानी प्रस्तुत करती है:–

1 यह कि प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है अनावेदक कं0 – 1 द्वारा तहसीलदार छतरपुर (जिन्हे आगे विचारण न्यायालय कहा जावेगा) को संबोधित एक आवेदन पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि अनावेदक का पक्का दो मंजिला भवन ख0 नं. 3166 में बना हुआ है, तथा भवन की चौहद्दी राजस्व अभिलेखा अनुसार चिन्हित की जाय। उक्त आवेदन पत्र पर अनुविभागीय अधिकारी छतरपुर द्वारा प्रवाचक की सीमाकन का आदेश जारी करने का आदेश अंकित किया, तदोरान्त तहसीलदार छतरपुर ने **पटवारी जांच प्रतिवदेन दे** का आदेश दिया

लक्ष्मी देवी

3/3/18

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

अनुवृत्ति ओदश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/छतरपुर/भू.रा./2018/2102

लक्ष्मी विरूद्ध बिहारी व शासन

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के नाम
12-03-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । आवेदक द्वारा यह निगरानी अपर कलेक्टर जिला छतरपुर के प्रकरण क्रमांक 280/निगरानी/अ-12/2004-05 में पारित आदेश दिनांक 01-02-2018 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-09-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय को अंतरित किया जाता है । 2. पक्षकार दिनांक 09-05-2019 को आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों । (आर.के.जैन) 12.3.19 सदस्य	